

प्रगति प्रतिवेदन

2013-14

(01.04.2013 से 31.12.2013 तक)



राजस्थान वित्त निगम

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

फोन : 0141-2385522, फैक्स : 0141-2385503

वेबसाइट : www.rfc.rajasthan.gov.in

राजस्थान वित्त निगम

प्रगति प्रतिवेदन

(2013-14)

(01.04.2013 से 31.12.2013 तक)

राजस्थान वित्त निगम वर्ष 1955 से राज्य की औद्योगीकरण की गति को तीव्र से तीव्रतर बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। उद्योगों को यथाशीघ्र ऋण स्वीकृत किये जा सकें जिसके लिए ऋण स्वीकृत करने की शक्तियों का भी विकेन्द्रीकरण हुआ है जिसके परिणामस्वरूप छोटे उद्योगों की स्थापना हेतु शाखा स्तर पर ही ऋण स्वीकृत करने के अधिकार दिये गये हैं।

निगम के प्रमुख उद्देश्य :

1. लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
2. राज्य के तीव्र औद्योगीकरण में सहयोग देना तथा औद्योगिक गति को नया आयाम देना
3. स्थापित उद्योगों के विस्तारीकरण तथा नवीनीकरण हेतु ऋण उपलब्ध करवाना
4. राज्य सरकार के अभिकर्ता की भूमिका के रूप में कार्य करना

निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, स्थापित उद्योगों के विस्तारीकरण, नवीनीकरण हेतु 20 करोड रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। निगम द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि क्रय, भवन निर्माण, यंत्र-संयंत्र खरीदने एवं कार्यशील पूंजी हेतु ऋण प्रदान किया जाता है।

ऋण स्वीकृति की शक्तियां

निगम द्वारा राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु 20 करोड रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु निगम के राज्य भर में 38 शाखा कार्यालय एवं 5 उप शाखा कार्यालय कार्यरत हैं। ऋण स्वीकृति की शक्तियां निम्न प्रकार हैं -

मुख्यालय स्तर पर -

एक्ज्यूकेटिव कमेटी (Executive Committee)	2000.00 लाख रुपये तक
प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड कंसल्टेटिव कमेटी (PC&CC)	1000.00 लाख रुपये तक

शाखा कार्यालय स्तर पर -

सक्षम अधिकारी	(राशि लाखों में)
उप महाप्रबन्धक (ऑपरेशन) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण सलाहकार कमेटी (DLAC)	150.00
प्रबन्धक (शाखा) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण सलाहकार कमेटी (DLAC)	100.00
उप प्रबन्धक (शाखा) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण सलाहकार कमेटी (DLAC)	50.00

समस्त स्थायी परिसम्पत्तियों पर निगम का प्रथम प्रभार रहता है। अतिरिक्त प्रतिभूति जोखिम, ऋण राशि व प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर ली जाती है।

वित्तीय सहायता के लिए आवश्यक मापदण्ड :

• प्रवर्तक का अंशदान	परियोजना लागत का कम से कम 33%
• डेब्ट इक्विटी अनुपात	2 : 1 से अधिक नहीं
• प्रतिभूति मार्जिन अ. सामान्य प्रकरण में ब. फेब्रिकेटेड आइटम्स, डाईज व मोल्ड्स, फर्नेस, फर्नीचर व फिक्चर्स में	30% 50%
• डेब्ट सर्विस कवरेज अनुपात	1.70 : 1 से कम नहीं

निगम की ऋण योजनाएं

वित्त निगम द्वारा औद्योगिक विकास के लिए उद्यमियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित मुख्य ऋण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं-

1. सामान्य ऋण योजना
2. सर्विस सेक्टर हेतु ऋण योजना
3. रियल एस्टेट सेक्टर हेतु ऋण योजना
4. स्पेशल सर्विस सेक्टर हेतु ऋण योजना
5. विशेष वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग/महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना
6. एकल खिडकी ऋण योजना

7. फाइनेन्सिंग अगेन्स्ट असेट्स ऋण योजना
8. स्विच ओवर ऋण योजना
9. असेट्स फाइनेन्सिंग ऋण योजना
10. सरल ऋण योजना
11. प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित इकाइयों हेतु ऋण योजना
12. स्पेशल लोन स्कीम फॉर मार्बल प्रोसेसिंग यूनिट (जिनके पास इम्पोर्ट लाइसेंस हो)
13. युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

गुड बॉरोअर्स ऋण योजनाएं

14. लघु अवधि ऋण योजना (एस.टी.एल.)
15. कार्यशील पूंजी ऋण योजना
16. स्पेशल परपज कार्यशील पूंजी ऋण योजना
17. नॉन असिसटेड इकाई हेतु कार्यशील पूंजी ऋण योजना
18. गोल्ड कार्ड योजना
19. प्लेटीनम कार्ड योजना
20. यूनिट्स प्रमोटेड बाई गुड बॉरोअर्स योजना
21. फ्लेक्सी ऋण योजना

राजस्थान वित्त निगम द्वारा युवाओं हेतु शुरू की गई नवीन ऋण योजना-

“युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना”

राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 19 अप्रैल, 2013 से लागू की है।

योजना के अन्तर्गत आई.टी.आई./ग्रेजुएट तथा 35 साल की उम्र तक के युवाओं को जिनकी परियोजना लागत रुपये 25.00 लाख से रुपये 100.00 लाख तक हो, पर वित्तीय सहायता सरल शर्तों पर उपलब्ध करायी जायेगी। योजना के अन्तर्गत बिना कोलेट्रल सिक्युरिटी के तथा 10 प्रतिशत प्रवर्तक अंशदान पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना के अन्तर्गत ब्याज दर 13.5 प्रतिशत, युवा उद्यमियों द्वारा समय पर किश्तों के भुगतान तथा राज्य सरकार से सबवेंशन @ 6 प्रतिशत प्राप्त होने पर, ब्याज दर 7.5 प्रतिशत प्रभावी होगी।

योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा ऑन लाईन बिजनेस प्लान दिनांक 01.05.2013 से 10.06.2013 तक माँगे गये थे। कुल 45974 युवाओं ने योजना में पंजीकरण करवाया तथा इनमें से निगम

को 13600 बिजनेस प्लान प्राप्त हुए जिनका मूल्यांकन कोसीडीसी (COUNCIL OF STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION OF INDIA) द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करवाया गया।

प्रथम 5000 सफल युवाओं में से प्रथम 1000 अभ्यर्थियों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिनांक 31.07.2013 तक माँगी गयी थी। निगम को कुल 918 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 09.09.2013 से 27.09.2013 तक मुख्यालय स्तर पर विशेषज्ञों के पैनल द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले युवाओं का साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार में कुल 696 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों के पैनल ने साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों के प्रस्तुतीकरण, परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी व्यवहारिकता एवं व्यवसायिक लाभदेयता को उचित मानते हुए 280 विस्तृत परियोजनाओं का चयन किया।

अभ्यर्थियों द्वारा परियोजना के लिए चाही गई भूमि की सूचना रीको द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी, जिसके अनुसार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 1041 भूखण्ड आवंटन योग्य बताये गये। इन भूखण्डों का क्षेत्रफल न्यूनतम 150 वर्गमीटर एवं अधिकतम 500 वर्गमीटर है। रीको को भू आवंटन हेतु पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं।

जिन अभ्यर्थियों को भूमि की आवश्यकता 500 वर्गमीटर से अधिक है, उनको भूमि अपने स्तर पर व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। भूमि की उपलब्धता के उपरान्त निगम अग्रिम कार्यवाही करेगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्रदत्त रियायतें

निगम द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 5.00 लाख रुपये तक के ऋण, उद्योगों की स्थापना एवं होटल आदि के लिए सामान्य दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन उद्यमियों को 5.00 लाख रुपये तक के ऋण आवेदन पत्रों पर लिये जाने वाले शुल्क में भी 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

विकलांग उद्यमियों को भी पांच लाख रुपये तक के ऋणों पर 2 प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

परिचालन खर्चों में कमी हेतु प्रयास

निगम द्वारा अपने परिचालन खर्चों में कमी करने के उद्देश्य से 271 कर्मचारियों/अधिकारियों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/निर्गमों/बोर्डों में विपरीत प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा चुका है, जिससे निगम के खर्चों में लगभग 13 करोड़ रुपये की वार्षिक कमी आएगी।

निगम की गत पांच वर्षों की प्रगति का विवरण :

(राशि करोड़ों में)

वर्ष	ऋण स्वीकृति	ऋण वितरण	ऋण वसूली	शुद्ध लाभ
2008-09	472.93	340.17	395.22	8.51
2009-10	438.02	296.89	390.43	2.05
2010-11	469.93	328.96	469.51	11.97
2011-12	283.63	259.78	430.64	4.52
2012-13	114.22	138.76	405.82	7.86
2013-14 (दिसम्बर, 2013 तक)	35.86	48.50	239.84	—

निगम द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए 300 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत करने, 200 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने एवं 350 करोड़ रुपये के ऋण वसूली के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। निगम द्वारा माह दिसम्बर, 2013 तक 35.86 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत, 48.50 करोड़ रुपये के ऋण वितरित एवं 239.84 करोड़ रुपये की ऋण वसूली की जा चुकी है।

निगम द्वारा अपनी स्थापना से 31 मार्च, 2013 तक कुल 80610 इकाइयों को 6427.98 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृतियां एवं 62697 इकाइयों को 4558.43 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।

ऋण वितरण

ऋण का वितरण, ऋण स्वीकृति पत्र की आवश्यक शर्तों को पूरा करने तथा ऋण दस्तावेजों का निष्पादन करने के पश्चात किया जाता है। संयुक्त वित्त पोषित इकाइयों के मामलों को छोड़कर उद्यमी अपने ऋण का वितरण शाखा स्तर से प्राप्त कर सकता है। इकाई की परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन व उद्यमी द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद राशि प्राप्त की जा सकती है।

परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करवाने एवं उनमें उत्पादन सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से शाखा/मुख्यालय स्तर पर गठित "प्रोजेक्ट मोनीटरिंग सैल" द्वारा क्रियान्विति में चल रही परियोजनाओं का आंकलन किया जाता है एवं उद्यमी को आने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण कर समुचित मार्ग-दर्शन दिया जाता है।

ऋण वितरण के समस्त अधिकार (संयुक्त वित्त पोषित इकाइयों को छोड़कर) शाखा कार्यालय को देने के बाद मुख्यालय द्वारा ऋण वितरण की मोनीटरिंग की जाती है एवं ऋण वितरण में हुई देरी की समीक्षा की जाकर मुख्यालय द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाती है।

ऋण वसूली

निगम द्वारा वित्त पोषित इकाइयों से ऋण वसूली की एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत उद्यमी को ऋण वितरण के तीन माह बाद ब्याज की किश्तों को जमा करवाना प्रारम्भ किया जाता है तथा मूल ऋण की किश्तों की अदायगी प्रायः 12 से 18 माह बाद प्रारम्भ की जाती है एवं अदायगी का समय 3 से 10 वर्षों के बीच होता है। फिर भी अधिकांश प्रकरणों में बाजार के उतार-चढ़ाव एवं उद्यमी स्तर पर विभिन्न समस्याओं के कारण निगम को विभिन्न रियायतों के संबंध में आवेदन प्राप्त होते हैं। निगम द्वारा ऋणी इकाइयों के आवेदन पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के पश्चात प्रचलित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न रियायतों जैसे किश्तों का पुनर्निर्धारण, डेफरमेंट, दण्डनीय ब्याज में माफी आदि दी जाती है।

निगम ने उद्यमियों को राहत देने हेतु "डीमंड सेटलमेंट स्कीम" 01.04.2012 को लागू की है जिसके अंतर्गत एन.पी.ए. प्रकरण जिन्हें 31.03.2001 तक ऋण स्वीकृत किये थे तथा जिनके खाते 31.3.2006 को डाउटफुल तथा लोस श्रेणी में वर्गीकृत थे, पात्र हैं। इसके अंतर्गत डेफिसिट/डिफिकिटल (31.03.2009 तक डिक्री पारित) एवं राइट ऑफ मामले भी पात्र हैं।

उक्त योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले समस्त प्रकरण जिनको 2.00 लाख रुपये तक के ऋण वितरित किये थे, को अंतिम रूप से राइट ऑफ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त योजनांतर्गत पात्र इकाई यदि सेटलमेंट राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013-14 में करती है तो निगम द्वारा सेटलमेंट राशि पर वित्तीय वर्ष 2012-13 के देय ब्याज में रियायत का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त उद्यमियों द्वारा समय-समय पर ब्याज/दण्डनीय ब्याज माफी, ब्याज दर अथवा खाते के निपटारा इत्यादि के संबंध में आवेदन प्राप्त होते हैं जिन्हें एक मुश्त निपटारा समिति के समक्ष रखा जाता है। एक मुश्त खाता निपटारा समिति के द्वारा ऋणी इकाइयों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है व प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर खाते का एक मुश्त निपटारा भी किया जाता है।

निगम उद्यमियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहा है तथा निगम का सदैव यही प्रयास रहा है कि उद्योग मूल उद्यमी के पास ही रहें तथा सुचारू रूप से उत्पादनरत रहें। इसके लिए बकाया राशि की कुछ प्रतिशत राशि लेकर शेष राशि को किश्तों में दिये जाने का प्रावधान किया जाता है। इसके बावजूद निगम की बकाया राशि की वसूली नहीं होने पर इकाइयों की सम्पत्तियों का अधिगृहण करके उनके बेचान के प्रयास किये जाते हैं। अधिगृहण के पश्चात अधिगृहीत इकाइयों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जाते हैं।

अधिगृहीत इकाइयों का पुनर्जीवन

निगम द्वारा वित्त पोषित इकाइयां जो कि निगम की बकाया राशि का भुगतान किसी भी प्रकार नहीं करती हैं तो ऐसी इकाइयों का अधिगृहण निगम द्वारा एस.एफ.सी.एक्ट, 1951 की धारा 29 एवं 30 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

निगम का प्रथम प्रयास यही रहता है कि मूल ऋणी द्वारा ही इकाई को पुनः उत्पादन में लाया जावे। अधिगृहण के पश्चात भी अगर मूल ऋणी निगम में निर्धारित राशि जमा करा देता है तो इकाई उसे वापस लौटा दी जाती है। परन्तु ऐसा न होने पर निगम द्वारा अधिगृहीत इकाइयों को पुनः उत्पादन में लाने के लिए उनके प्रबन्ध में परिवर्तन किया जाता है, ऐसी इकाइयों की परिसम्पत्तियों का विक्रय कर पुनः उत्पादन में लाया जाता है।

निगम द्वारा वर्ष 2012-13 के प्रारम्भ में अधिगृहीत इकाइयों की संख्या 72 थीं जिनमें 58.79 करोड रुपया बकाया था। इस वर्ष में निगम द्वारा कुल 14 इकाइयों का, जिनमें निगम का 29.25 करोड रुपया बकाया था, अधिगृहण किया गया एवं 34 इकाइयां जिनमें 12.55 करोड रुपया बकाया था को विक्रय द्वारा प्रबन्ध में परिवर्तन कर एवं मूल ऋणियों को वापस लौटाकर पुनर्जीवित किया गया। वर्ष के अंत में निगम के पास अधिगृहीत इकाइयों की कुल संख्या 52 थीं जिनमें कुल 75.49 करोड रुपया बकाया था।

चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 (माह दिसम्बर, 2013 तक) के दौरान निगम द्वारा 3 इकाइयों को अधिगृहीत किया गया एवं 9 इकाइयों को विक्रय कर प्रबन्ध में परिवर्तन द्वारा एवं मूल ऋणी को इकाई वापस लौटाकर पुनर्जीवित किया गया।

राज्य सरकार के अभिकर्ता की भूमिका

राज्य में स्थित औद्योगिक इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण, पूंजी विनियोजन अनुदान एवं ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की दिशा में वित्त निगम राज्य सरकार के अभिकर्ता की भूमिका निर्वाहित करता है।

वित्तीय संसाधन

वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजस्थान वित्त निगम की अधिकृत अंशपूंजी रुपये 200 करोड थी जिसे राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 25.06.2013 के तहत बढ़ाकर रुपये 500 करोड कर दिया गया है। 31 मार्च, 2013 को निगम की प्रदत्त पूंजी रुपये 135.73 करोड थी तथा 31 दिसम्बर, 2013 को प्रदत्त पूंजी रुपये 160.73 करोड थी।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में निगम को सुदृढ करने के उद्देश्य से 25 करोड रुपये की राशि अंश पूंजी के रूप में उपलब्ध करवायी गई है।

वर्ष 2012-13 में निगम व सिडबी के मध्य हुई सहमति के अनुसार निगम द्वारा बकाया पुनर्वित्त राशि रुपये 542 करोड के विरुद्ध 340 करोड रुपये के पुनर्भुगतान पर निपटारा सहमति के अंतर्गत निगम द्वारा 31 दिसम्बर, 2013 तक 340 करोड रुपये का सहमतिनुसार पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

उद्यमियों की सहायतार्थ

उद्यमियों की सहायता हेतु निगम द्वारा राज्य में तीन स्थानों - जयपुर (सीतापुरा), जोधपुर एवं भिवाडी में फेसिलिटेशन सेंटर (Facilitation Centre) खोलने प्रस्तावित थे। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के दौरान निगम द्वारा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, भिवाडी एवं दिल्ली में फेसिलिटेशन सेंटर खोले गये हैं। इसके अतिरिक्त निगम व्यापार संवर्द्धन हेतु समय-समय पर राज्य में शाखा स्तर पर तथा राज्य के बाहर व्यापार प्रोत्साहन शिविर आयोजित करता है।

वित्त निगम की गत पांच वर्षों की उपलब्धियों का लेखा-जोखा इस प्रकार है-
(राशि करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
1	2	3	4	5	6	7
1	ऋण स्वीकृति	114.22 (217)*	283.63 (796)*	469.93 (893)*	438.02 (827)*	472.93 (777)*
2	ऋण वितरण	138.76 (205)*	259.78 (717)*	328.96 (690)*	296.89 (628)*	340.17 (716)*
3	ऋण वसूली	405.82	430.64	469.51	390.43	395.22
4	अंश पूँजी-					
	क. (i) अधिकृत	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00
	(ii) प्रदत्त	135.73	110.08	110.08	110.08	86.52
	ख. वर्षान्त में रिजर्व	268.16	62.70	61.70	60.70	60.70
	ग. बाण्ड शेष	300.00	31.50	74.95	111.87	124.80
	घ. भा. औ. वि. बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त	-	-	-	-	-
	ङ. भा. ल. औ. वि. बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त	28.00	75.00	86.00	125.72	150.00
5	सकल लाभ	88.32	62.82	68.88	61.09	63.14
6	कार्य परिचालन व्यय	64.42	58.12	55.90	58.88	54.15
7	लाभ/हानि	12.88	4.90	12.98	2.21	8.99
8	शुद्ध लाभ	7.86	4.52	11.97	2.05	8.51

* इकाइयों की संख्या
